

कार्यालय उपसंचालक, सामाजिक न्याय, जिला-खण्डवा

क्रमांक / स्थापना / 2010 /

खण्डवा दिनांक

प्रति,

कलेक्टर,
जिला खण्डवा.

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 का क्रियान्वयन ।

संदर्भ:- कार्यालय कलेक्टर, जिला खण्डवा का पत्र पृ0कं.-क/समय-सीमा पत्र/2010/7131
दिनांक 3.5.2010

—00—

संदर्भित विषयान्तर्गत वांछित 17 बिन्दुओं की जानकारी इस पत्र के साथ हार्डकॉपी एवं साफ्टाकापी (सी0डी0) में संलग्न कर प्रेषित है ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार.

उपसंचालक,
सामाजिक न्याय,
जिला-खण्डवा

पृ0क्रमांक / स्थापना / 2010 /

खण्डवा दिनांक

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर की ओर सूचनार्थ ।
2. आयुक्त, सामाजिक न्याय, संचालनालय, म0प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
3. जिला कोषालय अधिकारी, जिला खण्डवा
4. राष्ट्रीय सूचना एवं विज्ञान केन्द्र खण्डवा
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

उपसंचालक,
सामाजिक न्याय,

कार्यालय उपसंचालक, सामाजिक न्याय,
जिला खण्डवा


सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

कार्यालय उपसंचालक, सामाजिक न्याय, जिला खण्डवा

कार्यालय उपसंचालक, सामाजिक न्याय, जिला खण्डवा

बिन्दु क्रमांक-01 :-

कार्यालय का प्रशासनिक ढांचा
उपसंचालक, सामाजिक न्याय, जिला खण्डवा



भृत्य

बिन्दु क्रमांक-01 :-

कार्यालय की विभिन्न शाखाओं के कार्य / दायित्वों की जानकारी :-

क्रं.	शाखा का नाम	कार्य	दायित्व
1	2	3	4
1	लेखा शाखा	कार्यालयीन लेखा संबंधी कार्य	आवंटन एवं व्यय से संबंधित सभी कार्य, सभी प्रकार के देयक तैयार करना ।
2	स्थापना शाखा	सभी अधिकारी / कर्मचारियों के सेवा अभिलेखों का संधारण	अधिकारी / कर्मचारियों के वेतन वृद्धि की स्वीकृती, अवकाश स्वीकृती, एवं पेंशन प्रकरण तैयार करना, न्यायालयीन प्रकरण आदि ।
3	समाज शिक्षा शाखा	विकलांग / निःशक्त कल्याणार्थ कार्य, समाज शिक्षा संबंधी कार्य, भण्डार संबंधी कार्य, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना एवं दीनदयाल अन्त्योदय समितियां आदि	विकलांगों को छात्रवृत्ति वितरण, निःशक्तजनों को कृत्रिम अंग उपकरण का वितरण / सहायक अनुदान, निःशक्त विवाह प्रोत्साहन राशि, सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि मुख्यमंत्री कन्यादान राशि वितरण करना, संस्थाओं एवं कला मण्डलियों को अनुदान एवं भण्डार संबंधी सभी दायित्व ।
4	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना शाखा	वृद्धों एवं निःशक्तों को पेंशन योजना संबंधी कार्यवाही, राष्ट्रीय परिवार योजना संबंधी कार्यवाही, विधवा पेंशन एवं निःशक्त पेंशन योजना की कार्यवाही, एवं मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना की कार्यवाही	सौपे गये समस्त कार्यो समय अवधि में पालन एवं निराकरण हितग्राहियों को समय पर पेंशन का वितरण एवं प्राप्त होने वाली शिकायतों का निराकरण का दायित्व ।
5	कला पथक शाखा	कला पथक संबंधी कार्य	ग्राम के नागरिकों को योजनाओं का प्रचार प्रसार का दायित्व
6	आवक-जावक शाखा	कार्यालय के आने वाली समस्त डाक का आवक करना एवं जाने वाली डाक का जावक करने की कार्यवाही	कार्यालयीन आवक-जावक का समस्त कार्य एवं सौपे गए कार्यो का दायित्व ।

बिन्दु क्रमांक-02 :-

कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों के नाम पदनाम
कर्त्तव्यों तथा परिलब्धियां संबंधी जानकारी

क्रं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कर्त्तव्य	परिलब्धियां
1	श्रीमती जकिया जावेद	उपसंचालक, सामाजिक न्याय, जिला खण्डवा	कार्यालय के आहरण संवितरण का अधिकार कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा समय समय पर सौंपे गये कार्यों का निर्वहन न्यायालयीन प्रकरणों पर कार्यवाही	

बिन्दु क्रमांक-03 :-

कार्यालय की निर्णय प्रक्रिया

संबंधित शाखा लिपिक



मुख्य लिपिक सहलेखापाल



उपसंचालक सामाजिक न्याय खण्डवा

कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत खण्डवा

संबंधित शाखा

बिन्दु क्रमांक-04 :-

कार्यालय द्वारा समय-सीमा में कार्य निपटाने गुणवत्ता तथा मात्रा संबंधी जानकारी तय किये जाने संबंधी जानकारी कार्यालय में सिटीजन चार्टर के अंतर्गत दर्शाई गई समय-सीमा अनुसार योजनाओं के क्रियान्वयन में कार्य किया जाता है (संलग्न सिटीजन चार्टर की प्रतिलिपी)

क्रं.	कार्य का नाम	समय सीमा
1	राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा एवं वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिये निकायों को समय पर आवंटन उपलब्ध कराना	60 दिवस
2	विधवा परित्यक्ता महिलाओं के प्रकरणों का निराकरण	60 दिवस
3	योजना से संबंधित शिकायत की जांच एवं निराकरण	21 दिवस
4	1.विकलांग छात्र-छात्राओं को विकलांग छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए निकायों को समय पर आवंटन उपलब्ध कराना 2.बहुविकलांग/मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजनों को सहायक अनुदान	30 दिवस 30 दिवस
5	विकलांगों को प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना	30 दिवस
6	विकलांगों का अर्थिक पुनर्वास 1.ऋण प्रकरण तैयार करना 2.बैंकों से ऋण स्वीकृती 3.व्यवसाय स्थापित करना 4.वृत्तिकर हेतु प्रमाण पत्र	1 माह 1 माह 7 दिवस 15 दिवस
7	संस्थागत अनुदान 1.आवेदन प्राप्ति की जांच एवं परीक्षण 2.जिला योजना समिति के समक्ष प्रस्तुति	1 माह 15 दिवस

	3.जिला योजना समिति के अनुमोदन उपरान्त आवंटन उपलब्ध होने पर भुगतान अथवा वरिष्ठ कार्यालय को अग्रपेपरण	15 दिवस
8	अधिकारी/कर्मचारी के सेवानिवृत्त /मृत्यु होने पर 1.अवकाश नगदीकरण की कार्यवाही 2.पेंशन एवं उपादान प्रकरण कोषालय को प्रस्तुत करना 3.सामान्य भविष्य निधि प्रकरण महालेखाकार को प्रेषित करना	1 माह 3 माह 3 माह
9	सूचना के अधिकारी के अंतर्गत नकल का प्रदाय	15 दिवस

सिटीजन चार्टर के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है :-

1. सिटीजन चार्टर के अनुसार सेवाएं प्रदान करने की समय सीमा का बोर्ड कार्यालय के बाहर लगाया गया है ।
2. कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्त होने पर विहित /प्रभारी अधिकारियों द्वारा आवेदनों का निर्धारित समय सीमा में निराकरण किया जाता है ।
3. सिटीजन चार्टर के अंतर्गत कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्त होने पर आवेदक को उसकी पावति दी जाती है, जिसमें आवेदन पत्र में पाई गई कमियां निराकरण की समय सीमा तथा समय सीमा में निराकरण न होने पर किस अधिकारी को शिकायत की जाना है उसका विवरण दर्ज किया जाता है ।

बिन्दु क्रमांक-05 :-

कार्यालय में उपलब्ध अधिनियम नियम रेगुलेशन मेनुअल की सूची :-

क्रमांक	नियम/रेगुलेशन/मेनुअल का विवरण
1	मध्यप्रदेश वित्त संहिता
2	मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम
3	मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965
4	मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966
5	मध्यप्रदेश शासन मूलभूत नियम

6	निःशक्त कल्याण संबंधी अधिनियम 1997 एवं 1999
7	दत्तक ग्रहण नियम 2000
8	किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2000)
9	मध्यप्रदेश सामान्य पुस्तक परिपत्र
10	निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना नियम 2008
11	निःशक्तजन सहायक अनुदान योजना नियम 2009
12	माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम 2007 / 2009

बिन्दु क्रमांक-06 :-

कार्यालय में संधारित किये जाने वाले विभिन्न अभिलेखों की सूची तथा उसका वर्गीकरण

क्रमांक	अभिलेख
1	सभी अधिकारियों / कर्मचारियों की व्यक्तिगत नस्तियां, जीपीएफ पासबुक एवं वेतनदेयक पंजी
2	कार्यालय की केशबुक
3	कार्यालय की प्राप्त आवंटन एवं व्यय की पंजी
4	कोषालय में आहरण हेतु प्रस्तुत किये गये देयकों की पंजी
5	सभी योजनाओं से संबंधित नस्तियां
6	वरिष्ठ / कनिष्ठ कार्यालयों से पत्राचार की नस्तियां

बिन्दु क्रमांक-07 :-

कार्यालय में गठित समितियों की जानकारी

क्रं.	समिति का नाम	आदेश क्रमांक	निर्माण संबंधी सर्कुलर	समिति के कर्तव्य एवं दायित्व
1	2	3	4	5
1	लोकल लेवल समिति	कलेक्टर खण्डवा का पत्र क्रं./ स.शि. /04 /1727 दि. 08/09/04	-	निःशक्तों के लिये चलाई जा रही योजनाओं की मॉनिटरिंग

2	अभिभावक संघ (अस्थिबाधित)	उपसंचालक, सामाजिक न्याय का पत्र क्रं. /स.शि./05/824 दि. 6.5.2005	—	अस्थिबाधित निःशक्तों के लिए कार्य योजना बनाना एवं उसका क्रियान्वयन करना
3	अभिभावक संघ (दृष्टिबाधित)	उपसंचालक, सामाजिक न्याय का पत्र क्रं. /स.शि./05/1464 दि. 16.8.2005	—	दृष्टिबाधित निःशक्तों के लिए कार्य योजना बनाना एवं उसका क्रियान्वयन करना
4	अभिभावक संघ (मानसिक निःशक्तजन)	उपसंचालक, सामाजिक न्याय का पत्र क्रं. /स.शि./05/1462 दि. 16.8.2005	—	मानसिक निःशक्तजनों के लिए कार्य योजना बनाना एवं उसका क्रियान्वयन करना
5	अभिभावक संघ (श्रवण बाधित)	उपसंचालक, सामाजिक न्याय का पत्र क्रं. /स.शि./05/1466 दि. 16.8.2005	—	श्रवण बाधित निःशक्तजनों के लिए कार्य योजना बनाना एवं उसका क्रियान्वयन करना

बिन्दु क्रमांक-08 :-

कार्यालय के अंतर्गत आने वाले बोर्ड/परिषद एवं समितियों के सदस्यों के नाम एवं गठन संबंधी आदेश

क्रं.	योजना का नाम	जनप्रतिनिधि/अधिकारी का नाम	आदेश क्रमांक
1	लोकल लेवल कमेटी जिला खण्डवा	कलेक्टर खण्डवा समन्वयक श्री भरत झंवर सदस्य श्री सुनील कुमार गुलाबसिंह सदस्य	कलेक्टर जिला खण्डवा का पत्र दिनांक 8.9.2004
2	अभिभावक संघ अस्थिबाधित	श्री रामकिशन कुमठी अध्यक्ष श्री रामेश्वर धनोरा सदस्य श्री रमेश रामपुरी सदस्य श्री गंगाराम किरगांव सदस्य श्री कमल नयन इंगले खण्डवा सदस्य श्री आनंदजी खण्डवा सदस्य श्रीमती जीवनलता जोशी खण्डवा सदस्य श्री भरत झंवर खण्डवा सचिव श्री दिनकराव कुलकर्णी खण्डवा सदस्य श्री अरुण जैन खण्डवा सदस्य श्री दिपक अग्रवाल खण्डवा सदस्य	उपसंचालक, सामाजिक न्याय, जिला खण्डवा का आदेश क्रं./स.शि./05 /824 दिनांक 6.5.2005

		श्रीमती कविता तिवारी खण्डवा सदस्य	
3	अभिभावक संघ मानसिक निःशक्तजन	श्री कालू रूपसिंग रूधी अध्यक्ष श्री रामकृष्ण बलराम चैनपुर पु.आ. सदस्य श्री गेंदालाल कन्हैया ओंकारेश्वर सदस्य श्रीमती सुनीता रमेश किल्लोद पाटी सदस्य कु. मंजुबाई रामाजी मोहन्याखेडा सदस्य श्री धन्नलाल भगवानपुरा सदस्य श्री चिन्ताराम सुकवा सदस्य श्री कन्हैयालाल नर्मदानगर सदस्य श्री आत्माराम रामेश्वर धारूखेडी सदस्य श्री शांतिलाल नन्नूलाल भोंडवा सदस्य	उपसंचालक, सामाजिक न्याय, जिला खण्डवा का आदेश क्र./स.शि./05 /1462 दिनांक 16.8.2005
4	अभिभावक संघ दृष्टिबाधित	श्री कृष्णानंद सरस्वती ओंकारेश्वर अध्यक्ष श्रीमती धनुबाई कालूराम रहनाई सदस्य श्री रामसिंग मुक्कन खारकला सदस्य श्री नमीन राधेश्याम धनवानी सदस्य श्री नत्थु हीरालाल हरसूद सदस्य श्री दिलीप पंडरी मोकलगांव सदस्य श्री विपीन सुरेश खण्डवा सदस्य श्रीमती मनुबाई चिन्ताराम नर्मदानगर सदस्य श्रीमती ममता दयाराम कुमठी सदस्य श्री किशन पन्नलाल रोसड सदस्य	उपसंचालक, सामाजिक न्याय, जिला खण्डवा का आदेश क्र./स.शि./05 /1464 दिनांक 16.8.2005
5	अभिभावक संघ श्रवणबाधित	श्री संतोष रामलाल जसवाडी अध्यक्ष श्री रेवाशंकर सुरेश खेडी सदस्य श्री मंगल जालम पाडल्यामाल सदस्य श्री हीरालाल मनोहरलाल ओंकारेश्वर सदस्य श्री नाथुराम दगडू हरसूद सदस्य श्री राधेश्याम कन्हैयालाल अम्बाखाल सदस्य	उपसंचालक, सामाजिक न्याय, जिला खण्डवा का आदेश क्र./स.शि./05 /1466 दिनांक 16.8.2005

	श्री देवराम पूजन टाकलीकला सदस्य श्री रमेशचंद्र छज्जुलाल बीड सदस्य श्री सेवकराम छितू बरूड सदस्य श्री भवानीराम मंगतूजी टेमीकला सदस्य	
--	---	--

बिन्दु क्रमांक-09 :-

कार्यालय में कार्यरत सभी अधिकारियों / कर्मचारियों की डायरेक्टरी

क्रं.	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	पता एवं कान्टेक्ट नम्बर यदि हो
1	2	3	4
1	श्रीमती जकिया जावेद	उपसंचालक	हरसूद नाका, खण्डवा / मो0नं0-89821-42363 कार्यालय फोन नं0-2223229
2	श्री हरिभाउ मेटकर	प्रमुख कलाकार	दादाजी मंदिर के पास खण्डवा / मो0नं0-92294-35335
3	श्री राजू नामदेव	कलाकार	रामनगर खण्डवा / मो0नं0-99818-13720
4	श्री रजनीकांत सोनेर	सहायक वर्ग-3	टपालचाल, खण्डवा / मो0नं0-90092-39478
5	श्री मदनलाल अग्रवाल	सहायक वर्ग-3	गणेश तलई, सैफूदीन के मकान में खण्डवा / मो0नं0-99260-35546
6	श्री रामसहाय पटेल	सहायक वर्ग-3	संभागीय उपायुक्त विक्रयकर ऑफिस के पीछे खण्डवा / मो0नं0- 99774-13301
7	श्री रमेश कौशल	सहायक वर्ग-3	रमा कालोनी खण्डवा / मो0नं0-94240-18799
8	श्री विशाल बरा	सहायक वर्ग-3	नाकोडा नगर, खण्डवा / मो0नं0-98268-58311
9	श्री रमेश तिवारी	भृत्य	आनंद नगर गेण्ड लॉज के पास खण्डवा / मो0नं0-

10	श्री भालचंद सोहनी	भृत्य	बडाबम ब्राम्हणपुरी, नाले के पास खण्डवा /मो0नं0-
11	श्री महेन्द्रसिंह राणावत	समूह परिचालक	ग्राम खालवा तह0हरसूद जिला खण्डवा /मो0नं0-
12	श्री दीपक डम्बाले	स्वच्छक	लक्ष्मण नगर रामनगर खण्डवा /मो0नं0-

बिन्दु क्रमांक-10 :-

कार्यालय में कार्यरत सभी अधिकारियों / कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले मासिक वेतन

क्रं.	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	वेतन	सुविधाएं
1	श्रीमती जकिया जावेद	उपसंचालक,		
2	श्री हरिभाउ मेटकर	प्रमुख कलाकार		
3	श्री राजू नामदेव	कलाकार		
4	श्री रजनीकांत सोनेर	सहायक वर्ग-3		
5	श्री मदनलाल अग्रवाल	सहायक वर्ग-3		
6	श्री रामसहाय पटेल	सहायक वर्ग-3		
7	श्री रमेश कौशल	सहायक वर्ग-3		
8	श्री विशाल बरा	सहायक वर्ग-3		
9	श्री रमेश तिवारी	भृत्य		
10	श्री भालचंद सोहनी	भृत्य		
11	श्री महेन्द्रसिंह राणावत	समूह परिचालक		
12	श्री दीपक डम्बाले	स्वच्छक		

बिन्दु क्रमांक-11 :-

कार्यालय उपसंचालक, सामाजिक न्याय, खण्डवा को वर्ष 2009-10 के लिये मदवार प्राप्त आवंटन तथा उसके उपयोग संबंधी जानकारी अप्रैल 2009 से मार्च 2010 तक की स्थिति में

1. 2304- निर्देशन और प्रशासन

क्रं.	बजट हेड	कार्य का नाम	वर्ष	प्राप्त आवंटन	व्यय
1	34-2235-02-001-9999-2304-11-001	वेतन	2009-10	9.00	9.24
2	34-2235-02-001-9999-2304-11-003	मंहगाई भत्ता	2009-10	1.70	3.07
3	34-2235-02-001-9999-2304-11-005	अनु.क्षेत्र भत्ता	2009-10	-	-

4	34-2235-02-001-9999-2304-11-006	मकान किराया भत्ता	2009-10	0.20	0.16
5	34-2235-02-001-9999-2304-11-008	अन्य भत्ते	2009-10	0.08	0.03
6	34-2235-02-001-9999-2304-11-009	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	2009-10	0.12	0.12
7	34-2235-02-001-9999-2304-11-011	त्योहार अग्रिम	2009-10	0.04	0.01
8	34-2235-02-001-9999-2304-11-016	अनाज अग्रिम	2009-10	0.04	0.04
9	34-2235-02-200-9999-0795-11-028	ग्रेड-पे	2009-10	1.80	1.18
10	34-2235-02-001-9999-2304-12-000	मजदूरी	2009-10	—	—
11	34-2235-02-001-9999-2304-21-001	यात्रा भत्ता	2009-10	0.135	0.135
12	34-2235-02-001-9999-2304-22-001	डाक तार व्यय	2009-10	0.05	0.05
13	34-2235-02-001-9999-2304-22-002	दूरभाष व्यय	2009-10	0.10	0.08
14	34-2235-02-001-9999-2304-22-005	विद्युत एवं जलकर	2009-10	—	—
15	34-2235-02-001-9999-2304-22-006	वर्दियां	2009-10	0.03	0.03
16	34-2235-02-001-9999-2304-22-007	स्टेशनरी एवं फार्म	2009-10	0.06	0.06
17	34-2235-02-001-9999-2304-22-011	किराया महसूल	2009-10	—	—
18	34-2235-02-001-9999-2304-34-001	सामग्री पूर्तियां मटे.क्रय	2009-10	0.06	0.06

2. 3923- विकलांगों और अपंगों की सहायता के लिए योजना

19	34-2235-02-001-0101-3923-42-002	सहायक अनुदान	2009-10	0.90	0.90
----	---------------------------------	--------------	---------	------	------

3. 4114- विश्व विकलांग वर्ष

20	34-2235-02-001-0101-4114-51-000	अन्य प्रभार	2009-10	0.20	0.20
----	---------------------------------	-------------	---------	------	------

4. 2245- नशाबंदी कार्यक्रम

21	34-2235-02-001-0101-2245-35-000	मद्य निषेध	2009-10	8.52	8.52
----	---------------------------------	------------	---------	------	------

5. 0795- कलापथक

22	34-2235-02-200-9999-0795-11-001	वेतन	2009-10	5.75	2.20
----	---------------------------------	------	---------	------	------

23	34-2235-02-200-9999-0795-11-003	मंहगाई भत्ता	2009-10	1.50	0.62
24	34-2235-02-200-9999-0795-11-006	मकान किराया भत्ता	2009-10	0.10	0.04
25	34-2235-02-200-9999-0795-11-008	अन्य भत्ते	2009-10	—	—
26	34-2235-02-200-9999-0795-11-009	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	2009-10	0.08	0.03
27	34-2235-02-200-9999-0795-11-011	त्योहार अग्रिम	2009-10	0.04	0.01
28	34-2235-02-200-9999-0795-11-016	अनाज अग्रिम	2009-10	0.04	0.02
29	34-2235-02-200-9999-0795-11-028	ग्रेड पे	2009-10	1.10	0.32
30	34-2235-02-200-9999-0795-21-001	यात्रा भत्ता	2009-10	0.10	0.10
31	34-2235-02-200-9999-0795-25-001	शासकीय आवासों की सज्जा	2009-10	0.05	0.05
32	34-2235-02-200-9999-0795-34-001	सामग्री पूर्ति मटे.क्रय	2009-10	0.05	0.05
33	34-2235-02-200-9999-0795-42-007	सहायक अनुदान	2009-10	0.05	0.05

6. 1985- दूरदर्शन कार्यक्रम

34	34-2235-02-200-9999-1985-11-001	वेतन	2009-10	3.00	1.77
35	34-2235-02-200-9999-1985-11-003	मंहगाई भत्ता	2009-10	0.48	0.51
36	34-2235-02-200-9999-1985-11-006	मकान किराया भत्ता	2009-10	0.09	0.04
37	34-2235-02-200-9999-1985-11-008	अन्य भत्ते	2009-10	0.02	0.01
38	34-2235-02-200-9999-1985-11-009	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	2009-10	0.01	—
39	34-2235-02-200-9999-1985-11-016	अनाज अग्रिम	2009-10	—	—
40	34-2235-02-200-9999-1985-21-001	यात्रा भत्ता	2009-10	0.01	0.01
41	34-2235-02-200-9999-1985-22-005	विद्युत एवं जलकर	2009-10	—	—
42	34-2235-02-200-9999-1985-63-001	वाचनालय व पुस्तकालय	2009-10	—	—

7. निःशक्त छात्रवृत्ति

43	52-2235-02-101-0075-0102-42-009	छात्रवृत्ति	2009-10	0.56	0.56
44	80-2235-60-101-3923-9999-41-002	छात्रवृत्ति	2009-10	1.26	1.26
45	80-2235-60-101-3923-0101-41-002	छात्रवृत्ति	2009-10	0.63	0.63

46	15-2235-02-101-0075-0103-42-007	छात्रवृत्ति	2009-10	0.05	0.05
----	---------------------------------	-------------	---------	------	------

8. अशासकीय संस्थाओं को अनुदान

47	34-2235-02-101-3923-0101-42-007	सहायक अनुदान	2009-10	4.44	4.44
48	34-2235-02-101-3923-0101-42-007	सहायक अनुदान	2009-10	0.90	0.90

9. कृत्रिम अंग उपकरण

49	34-2235-02-101-3923-9999-42-007	कृत्रिम अंग उपकरण	2009-10	1.62	1.62
50	34-2235-02-101-3923-0101-42-007	कृत्रिम अंग उपकरण	2009-10	0.81	0.81

11. मुख्यमंत्री कन्यादान योजना

51	34-2235-02-800-0101-6710-42-007	सहायक अनुदान	2009-10	21.50	21.50
52	41-2235-02-800-0102-6710-42-007	सहायक अनुदान	2009-10	18.00	18.00
53	64-2235-02-800-0103-6710-42-007	सहायक अनुदान	2009-10	7.00	7.00

बिन्दु क्रमांक-12 :-

विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों से संबंधि जानकारी

निःशक्त कल्याण:-

(अ) विकलांग छात्रवृत्ति:-सभी वर्गों के ऐसे विकलांग छात्र/छात्राएं जो पूर्व प्राथमिक शाला से आगे स्नातकोत्तर या व्यवसायिक स्नातक परीक्षा में नियमित रूप से शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं उनको इस योजना में निम्नानुसार विकलांग छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। प्रदेश के सभी वर्ग के ऐसे विकलांग छात्र /छात्राएं जो पूर्व माध्यमिक शाला से आगे स्नातकोत्तर या व्यवसायिक स्नातक परीक्षा में नियमित रूप से शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं उनको इस योजना में निम्नानुसार निःशक्त छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। छात्रों को 10/-रु0 अतिरिक्त स्वीकृत किया जाता है।

कक्षा का स्तर	छात्रवृत्ति दर मासिक		छात्रवृत्ति दर छात्रावासी	
	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा

प्राथमिक	25	35	—	—
माध्यमिक	30	40	—	—
उच्चतर माध्यमिक सामान्य/अन्य पिछडा वर्ग के लिए	110	120	500	500
अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए	60	60	50	60
स्नातक सामान्य/अन्य पिछडा वर्ग के लिए	250	250	500	500
अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए	65	65	60	60
स्नातकोत्तर सामान्य/अन्य पिछडा वर्ग के लिए	300	300	525	525
अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए	60	60	50	50

नोट:—अनुसूचित जाति /जनजाति वर्ग इस छात्रवृत्ति के अतिरिक्त आदिम जाति कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति भी प्राप्त कर सकते हैं ।

1. कक्षा आठवीं में 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले निःशक्तजन छात्र/छात्राओं को उच्चतर स्तर 9वीं में नियमित छात्र /छात्रा के रूप में प्रवेश लेने पर एक मुश्त रूपये 2,500/— प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान की जाती है ।
2. इसके अतिरिक्त उच्चतर माध्यमिक 12वीं की परीक्षा 60 प्रतिशत से अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण करने वाले निःशक्त छात्र/छात्राओं को स्नातक स्तर पर महाविद्यालय में नियमित छात्र /छात्रा के रूप में प्रवेश लेने पर प्रोत्साहन राशि के रूप में रूपये 3,000/— प्रदान किये जाते हैं ।
3. निःशक्त छात्र /छात्राएं छात्रवृत्ति के लिए निर्धारित आवेदन पत्र अपनी निःशक्तता दर्शाते हुए फोटोग्राफ के साथ निःशक्तता और निवास प्रमाण पत्र सहित शैक्षणिक संस्था के प्रमुख के माध्यम से शहरी क्षेत्र के आवेदन पत्र जिले के विभागीय जिला अधिकारी सामाजिक न्याय को तथा ग्रामीण क्षेत्र के आवेदन पत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को प्रेषित करते हैं । सक्षम अधिकारी परीक्षण के बाद छात्रवृत्ति स्वीकृत करते हैं ।

निःशक्तजनों को निःशुल्क उपकरण प्रदाय योजना :-

अस्थिबाधित, दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित और निःशक्त व्यक्तियों का शारिरीक दोष दूर करने के लिए विशेष साधन / उपकरण प्रदान करना । इस योजना में प्रदेश में निःशक्त को निःशक्तता के आधार पर विशेषज्ञों की सलाह से प्रत्यारोपण, ट्रायसिकल, कृत्रिम पैर, ऑर्थोपेडिक जूते, कैलीपर, बैसाखी, और श्रवण यंत्र, श्वेत छडी आदि उपकरण / साधन उपलब्ध कराये जाते हैं ।

पात्र हितग्राही:-

1. ऐसे हितग्राही छात्र/छात्राएं जो पहली कक्षा से स्नातक एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हों और जिनकी आयु 16 से 25 वर्ष के बीच हों ।
2. 16 से 55 वर्ष की उम्र के बीच के निःशक्त व्यक्ति जिन्हें अपना काम पूरा करने के लिए विशेष साधन उपकरण की आवश्यकता हों और वे स्वयं इसको खरीदने में समर्थ न हों उनको ही विशेष साधन चिकित्सा की अनुशंसा पर उपलब्ध कराये जाते हैं ।
3. जिनके माता पिता अभिभावक की वार्षिक आय रू0 24000/- से कम हो ।

हितग्राही चयन प्रक्रिया :-

जिला स्तर या तहसील स्तर पर या अन्य शिविरों के माध्यम से निःशक्तों को विशेषज्ञों द्वारा परीक्षण कराकर उसके लिए सुझाए गए कृत्रिम अंग / उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं, इसके अतिरिक्त उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से ही उपकरण दिए जाते हैं । ऐसे उपकरण साधन हितग्राही को एक ही बार दिए जाने का प्रावधान है ।

निःशक्तजनों को सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना :-

शिक्षित निःशक्तजनों को मध्यप्रदेश शासन संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली एवं म0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में सम्मिलित होकर विभिन्न स्तरों पर सफलता प्राप्त करने पर प्रोत्साहन स्वरूप आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ।

प्रोत्साहन राशि :-

1. प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर राशि रू0 20000/- (रूपये बीस हजार मात्र)
2. मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर राशि रू0 30000/- (रूपये तीस हजार मात्र)
3. अंतिम चयन होने पर राशि रू0 20000/- (रूपये बीस हजार मात्र)

निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना :-

म0प्र0 शासन सामाजिक न्याय विभाग द्वारा प्रदेश में निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के अंतर्गत निःशक्त व्यक्तियों के सामाजिक पुनर्वास को सुनिश्चित करने हेतु दिनांक 12 अगस्त 2008 से निःशक्त व्यक्तियों के लिए विवाह प्रोत्साहन राशि योजना (निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना नियम 2008) प्रारंभ की गई ।
विवाह प्रोत्साहन योजना हेतु पात्रता :-

1. दम्पति भारत के नागरिक हों ।
2. दम्पति म0प्र0 राज्य का स्थाई निवासी हों या कम से कम 5 वर्ष खण्डवा जिले में निवासरत हों ।
3. दम्पति में से कोई भी सदस्य किसी आपराधिक मामले में न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया हों ।
4. विवाह के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम नहीं हों एवं युवती की आयु 18 वर्ष से कम नहीं हों ।
5. दम्पति का विवाह धार्मिक/सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार हुआ हो या सक्षम न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से विहित किया गया हो ।
6. दम्पति में से कोई भी आयकर दाता न हों ।
7. दम्पति में किसी एक सदस्य का कोई जीवित पति या पत्नि न हो और उसके उपर महिला उत्पीडन या अन्य आपराधिक वाद न चल रहा हो ।

प्रोत्साहन राशि :-

निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पात्र दम्पति को राशि रू0 25000/- की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ।

विशेष:- विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत विवाह करने वाले दम्पति यदि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में शामिल होकर विवाह करते हैं तो उन्हें योजना अंतर्गत राशि रू0 6500/-का गृहस्थी बसाने का सामान तथा प्रोत्साहन योजना के तहत राशि रू0 25000/- भी देय होगी ।

निःशक्तजन बालक/बालिकाओं के लिए छात्रगृह योजना :-

निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के अंतर्गत निःशक्त व्यक्तियों के शैक्षणिक पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए छात्र/छात्राओं के लिए छात्रगृह योजना 2008 लागू की गई है ।

छात्रगृह का संचालन:-

जहां छात्रगृह स्थापित किए जाएंगे वहां बालिकाओं के लिए पृथक एवं बालकों के लिए पृथक छात्रगृह का संचालन अलग अलग भवनों में किया जायेगा ।

1. छात्रगृह में कक्षा 11वीं तथा उससे उपर के छात्र/छात्राओं के लिए होगा ।
2. छात्रगृह में कम से कम 5 (अधिकतम सीमा नहीं) छात्र/छात्राएं छात्रगृह में रहने के इच्छुक हों जिसके लिए उनको लिखित आवेदन पत्र शासकीय /अशासकीय संस्था के प्राचार्य को प्रस्तुत किया जाना होगा ।
3. प्राचार्य प्रस्ताव तैयार कर जिलास्तर पर सामाजिक न्याय विभाग को प्रस्तुत करेंगे ।

पात्रता /प्रवेश प्रक्रिया :-

छात्रगृह देने के लिए शासकीय /अशासकीय संस्थाओं के प्राचार्य सक्षम रहेंगे । छात्रगृह में केवल उन्हीं छात्र/छात्राओं को प्रवेश की पात्रता होगी, जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त शासकीय अथवा अशासकीय शिक्षण संस्थाओं में कक्षा 11वीं या इससे उपर की कक्षाओं में प्रवेश लिया हो । मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की पात्रता रखते हों या स्वीकृती हो चुकी हों जिसका चरित्र उत्तम तथा योजना की पूर्ति एवं नियमों के पालन के लिए वचनबद्ध हों तथा उनके माता पिता पालक, अभिभावक की वार्षिक आय रू0. 96000/- से अधिक न हों, छात्र/छात्रा म0प्र0 के मूल निवासी हों ।

छात्रगृह के संचालन हेतु राशि :-

छात्रगृह का संचालन शासकीय/अशासकीय संस्थाएं किराये पर भवन लेकर कर सकती हैं । रूपये 750/- प्रतिमाह की दर से प्राचार्य भवन प्राप्त कर सकते हैं । अधिकतम रूपये 1500/- प्रतिमाह का अनुमोदन विभागीय जिला अधिकारी अथवा कलेक्टर द्वारा दिया जा सकेगा । छात्रगृह पर बिजली पानी पर होने वाला व्यय प्रति छात्रगृह रूपयें 1000/- प्रतिमाह का खर्च शासन की ओर से वहन किया जायेगा । भवन किराया प्राचार्य को देय होगा । प्राचार्य द्वारा छात्रगृह में प्रवेशरत समस्त बच्चों का रिकार्ड संधारित रखा जावेगा । भवन किराया एवं अन्य व्यय की राशि प्राचार्य को देय होगी ।

निःशक्तजन सहायता अनुदान योजना :-

बहुविकलांग /मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजन या उसके माता-पिता अथवा पालक अथवा अभिभावक को विहित प्रारूप क में संयुक्त रूप से ग्रामीण क्षेत्र की दशा में ग्राम पंचायत के माध्यम से जनपद पंचायतों को तथा नगरीय क्षेत्र की दशा में नगर पंचायत /नगर पालिका /नगर निगम के माध्यम से उपसंचालक सामाजिक न्याय विभाग को आवेदन प्रस्तुत करना होगा । सहायता अनुदान की राशि नगर देना होकर हितग्राही के बचत खाते में सीधे जमा की जायेगी । संबंधित निःशक्तजन या उसके माता-पिता अथवा पालक अथवा अभिभावक का संयुक्त बचत खाता किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा सहकारी बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में खोला जाना अनिवार्य होगा ।

सहायता अनुदान हेतु पात्रता :-

बहुविकलांग/मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजनों को म0प्र0 का मूल निवासी होना चाहिए । उसे 6 वर्ष से अधिक आयु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । बहुविकलांग/मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजनों के माता-पिता अथवा पालक अथवा अभिभावक गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन कर रहे हों को प्रतिमाह 500/- रू0. सहायता अनुदान स्वीकृत की जाती है ।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना :-

म0प्र0 शासन द्वारा गरीब, जरूरतमंद, निराश्रित / निर्धर परिवार की विवाह योग्य कन्या / विधवा / परित्यक्ता के विवाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना ।

पात्रता:-

1. कन्या की आयु विवाह हेतु 18 वर्ष या उससे अधिक हों, लडके की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक हों ।
2. कन्या विधवा / परित्यक्ता के सामूहिक विवाह में शामिल होकर विवाह करने पर प्रावधान अनुसार राशि रू0 6500/- गृहस्थी बसाने का सामान जैसे :- बर्तन, बिस्तर, पलंग, बिछिया, पायजब, मंगलसूत्र, कपडे रखने की पेटी बाक्स, इत्यादि तथा राशि रू0 1000/- आयोजन के खर्च हेतु ।

सम्पर्क कहां करें :-

ग्रामीण क्षेत्र के लिए संबंधित ग्राम पंचायत / आंगनवाडी कार्यकर्ता / जनपद पंचायत तथा नगरीय क्षेत्र के सामाजिक न्याय विभाग / महिला बाल विकास / शहरी विकास अभिकरण / आंगनवाडी कार्यकर्ता

एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना :-

असहाय एवं निराश्रित वृद्ध विधवा एवं विकलांग व्यक्तियों को एक निश्चित मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करना । 65 वर्ष से कम व 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी श्रेणी के पेंशनरों को सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत राशि रू0 150/- पेंशन दी जाती है । 65 वर्ष से अधिक आयु के सभी पेंशनरों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना की पात्रता है उन्हें प्रतिमाह राशि रू0 275/- का भुगतान किया जाता है । इसके साथ ही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली 40 से 64 वर्ष आयु की विधवा महिलाओं को राशि रू0 200/- एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 18 से 64 वर्ष आयु के निःशक्तजनों को राशि रू0 200/- प्रदाय की जाती है ।

पात्रता :-

इन योजनाओं के अंतर्गत निम्न व्यक्ति पेंशन के पात्र होंगे ।

1. 60 वर्ष या अधिक आयु के वृद्ध ।
2. 18 वर्ष या अधिक आयु की विधवा / परित्यक्ता महिलाएं एवं 60 वर्ष एवं निराश्रित व्यक्ति ।
3. 06 वर्ष या अधिक आयु के विकलांग / निराश्रित । 06 से 14 वर्ष के विकलांगों को सहायता की पात्रता तभी होगी जब वे किसी स्कूल में भर्ती होकर पढाई कर रहे हों भले ही वे निराश्रित हों ।
4. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली 40 से 64 वर्ष आयु की विधवा महिलाएं ।

5. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 18 से 64 वर्ष आयु के निःशक्तजन ।

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना :-

गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन करने वाले परिवार की मुखिया की मृत्यु उपरान्त उसके परिवार को एक मुश्त आर्थिक सहायता प्रदान करना ।

पात्रता:-

- इस योजना के अंतर्गत निम्न व्यक्ति सहायता के पात्र होंगे ।
1. परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन करने वाला हो ।
 2. परिवार का मुखिया या ऐसे सदस्य की मृत्यु हो जाये जिसकी कमाई से ही अधिकांशतः परिवार का गुजारा चलता हो ।
 3. मृत्यु दिनांक को मृतक की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक किन्तु 65 वर्ष या इससे कम हों ।

नशामुक्ति योजना क्रियान्वयन :-

वर्तमान में नशा सेवन की प्रवृत्ति में बहुतायत की वृद्धि हुई है इसे समय के साथ नहीं रोका गया तो युवा छात्र, छात्राओं एवं जन-जन का भविष्य तबाह की स्थिति में पहुंच जायेगा । इस नशाखोरी की रोकथाम, उपचार, एवं पुनर्वास व जनजागृति के लिए राज्य में एक अनूठी पहल की योजना का क्रियान्वयन किया जाना है यह योजना नशामुक्ति चलित केन्द्र, चलित प्रदर्शनी, बाल नशामुक्ति केन्द्र, स्थापना, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों, व आकाशवाणी, दूरदर्शन के माध्यम से वृहत स्तर पर संचालित होगी । इसमें समस्या प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को लाभान्वित किया जावेगा ।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-47 में भी स्पष्ट प्रावधान है कि, "पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को उंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य-राज्य, अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को उंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा और राज्य विशिष्टतया, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के, औषधीय प्रयोजनों से भिन्न, उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा" । नशामुक्ति कार्यक्रम का संचालन नशा पीडित बच्चे स्टेशन, फुटपाथों, झुग्गी झोपडियों में प्रायः नशा सेवन करते हुए पाये जाते हैं । जिनका उपचार कर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोडना आवश्यक है । खण्डवा जिले में गोपाल शिक्षा समिति खण्डवा द्वारा बाल नशा मुक्ति केन्द्र संचालित किया जा रहा है ।

बिन्दु क्रमांक-13 :-

वास्तविक हितग्राहियों की सूची तथा उन्हें प्राप्त होने वाली सुविधा की जानकारी नवीनीकरण
निःशक्त छात्रवृत्ति वर्ष 2009-10
विकलांग छात्रवृत्ति नवीनीकरण वर्ष 2009-2010

क्र.	नाम/पिता	शाला/महाविधालय का नाम	जाति	कक्षा	दर	अवधि	स्वीकृति राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	विनोद पिता कन्हैया	नवीन शा.मा.शाला गणेशगंज खण्डवा	अजजा	6वीं	30	1.4.09 से 30.4.09	30
2	राजेश पिता तुलसीराम	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था खण्डवा	अजा.	आशु लिपि हिन्दी	65	---''---	65
3	कु. रीना पिता मदन	श्रीमती सुन्दरबाई गुप्ता उ.मा.वि.खण्डवा	अजा.	11वीं	65	---''---	65
4	कु. रजनी पिता सुखदेव	---''---	---''---	11वीं	65	---''---	65
5	विजय पिता निर्मल	शा.एस.एन.कालेज खण्डवा	अजजा	बी.ए.द्वितीय वर्ष	65	---''---	65
6	खुमान पिता गुलाबचंद	---''---	अजा.	---''---	65	---''---	65
7	कालुराम पिता सोहनलाल	---''---	अजजा.	बी.ए. प्रथम वर्ष	65	---''---	65
8	राजेन्द्र पिता उमाशंकर	---''---	पि.वर्ग	---''---	250	---''---	250
9	आनंद पिता किशोर	---''---	पि.वर्ग	बी.ए. तृतीय वर्ष	250	---''---	250
					वाचक भत्ता 100		100
10	विपिन पिता सुरेशचन्द्र	---''---	---''---	---''---	250	---''---	250
					वाचक भत्ता 100		100
11	सोनू पिता इन्द्रसिंह	---''---	अजजा.	बी.ए.तृतीय वर्ष	65	---''---	65
					वाचक भत्ता 100		100
12	लोकेन्द्रसिंह पिता दिलावरसिंह	---''---	सामान्य	---''---	250	---''---	250

13	अशोक पिता रमेश	--"	पि.वर्ग	बी.ए. प्रथम वर्ष	250	--"	250
14	हरीसिंह पिता प्रभुसिंह	--"	--"	बी.ए.तृतीय वर्ष	250	--"	250
15	रामप्रसाद पिता हीरालाल	शा.एस.एन.कालेज खण्डवा	अजजा.	बी.ए.तृतीय वर्ष	65	---"	65
16	कैलाश पिता रामा	--"	अजजा.	बी.ए.द्वितीय वर्ष	65	--"	65
17	सदाशिव पिता गोडिया	--"	अजजा.	बी.ए.तृतीय वर्ष	65	--"	65
18	अर्जुनसिंह पिता तेरसिंह	--"	अजजा.	9वीं	65	--"	65
19	प्रविण पिता अर्जुनसिंह	--"	--"	9वीं	65	--"	65
20	दिपक शिवप्रसाद	शा.एस.एन.कालेज खंडवा	पि.वर्ग	बी.काम द्वितीय वर्ष	250	1.4.09 से 30.4.09 तक	250
21	धनराज भट्ट स्व.श्री बद्रीलाल भट्ट	---"	पि.वर्ग	एम.काम पुर्वाध	300	---"	300
22	शातीलाल पिता नन्नू	शा.एस.एन.कालेज खंडवा	वि.वर्ग	बी.ए.प्रथम वर्ष	250	---"	250
23	रविशंकर पिता श्रीलाल लोवंशी	शा.एस.एन.कालेज खंडवा	वि.वर्ग	बी.काम. प्रथम	250	---"	250
24	सोहन पिता मुशीलाल	महर्षि दयानंद एग्लोवेदिक स्कूल गणेश गंज खंडवा	अ.जा.	9 वी	60	---"	60
25	कु.साधना पिता जगराज	---"	सामान्य	9 वी	120	---"	120
26	प्रविण पिता प्रहलाद	नवीन माध्यमिक शाला गणेश गंज खंडवा	अ.जा.	6 टी	30	---"	30
27	मनोज पिता लखन	---"	पि.वर्ग	7 वी	30	--"	30
28	अजय पिता भगवान	---"	पि.वर्ग	6 टी	30	---"	30
29	कु. भारती पिता दिनेश	श्रीमती सुन्दरबाई गुप्ता कन्या उ.मा. शा. खंडवा	पि.वर्ग	10 वी	120	---"	120
30	कमल आपसिंह	म.ज्यो.फु. पो. कालेज खण्डवा	अजजा	सिविल प्रथम वर्ष	65	---"	65
31	कु.ममतागडबड	---"	पि.वर्ग	एम.ओ.एम तृतीय वर्ष	250	---"	250

32	दीपक रामदास	---"---	---"-	कम्प्यूटर प्रथम वर्ष	250	---"---	250
33	मो. इरफान मो मुस्ताक	शास.बालक माध्यमिक शाला घासपुरा खंडवा	पि.वर्ग	7 वी	30	---"---	30
34	मुकेश बाबूलाल	म.ज्यो.फु. पो. कालेज खण्डवा	अजजा	मेकेनिकल प्रथम वर्ष	65	1.4.09 से 30.4.09तक	65
35	राजू अर्जुनसिंह	-"-	-"-	कम्प्यूटरसांइस प्रथम वर्ष	65	-"-	65
36	प्रहलाद दगडू	-"-	पि.वर्ग	सिविल प्रथम वर्ष	250	-"-	250
37	धिरजकुमार बालकृष्ण	शास.मोतीलाल नेहरू उ.मा.वि. खंडवा	पि.वर्ग	10 वी	110	---"---	110
38	मुस्तकिन हरून खान	---"---	-"-	7 वी	30	---"---	30
39	इसराईल रसीद खां	ब.ई.सुभाष उ.मा.शा. खंडवा	पि.वर्ग	12 वी	110	---"---	110
40	कु.आरती स्व.राजेश कुमार	शा.माखनलाल चर्तुवेदी कन्या. महाविधालय खंडवा	अ.जा.	बी.ए.प्रथम वर्ष	65	---"---	65
41	मनोज गोविंद	सरस्वती शिशु मंदिर पंधाना	पि.वर्ग	7-वी	30	---"---	30
42	कु. शाहीना सगीर	शा.मा.क.शाला घासपुरा खण्डवा	पि.वर्ग	8-वी	40	-"-	40
43	सुदेश शंकरलाल	शा.मो.ने.उ.मा.शा. खंडवा	अ.जा.	12 वी	60	---"---	60
44	राधेश्याम मुन्नलाल	---"---	पि.वर्ग	10 वी	110	---"---	110
45	मुकेश चैनसिंग	सरस्वती वि.मन्दिर हा.से. अनंद नगर खंडवा	पि.वर्ग	9 वी	110	---"---	110

46	महेश भगवानसिंह	बा.वि.हा.से.कानवेंट खंडवा	अजजा	9 वी	60	---"---	60
47	सुभाष नंदलाल	सरस्वती वि.मन्दिर हा.से. अनंद नगर खंडवा	अजजा	9 वी	60	---"---	60
48	योगेश महेन्द्र	---"---	पि.वर्ग	8 वी	30	---"---	30
49	सुरेश नरसिंग	शा.मो.ने.उ.मा.शा. खंडवा	अजजा	10 वी	60	---"---	60
50	मुकेशसिंह विक्रमसिंग	---"---	पि.वर्ग	12 वी	110	---"---	110
51	प्रविण बिंसु	संत थामस उ.मा.वि. खंडवा	अ.जा	9 वी	60	---"---	60
52	कु. रूखसार इस्माईल	शा.मा.कन्या शाला घासपुरा खंडवा	पि.वर्ग	8 वी	40	---"---	40
53	गोविन्द खजनासिंह	श्री रायचन्द्र नागडा उत्कृष्ट वि.खंडवा	अ.ज.जा	10 वी	60	---"---	60
54	प्रताप झामसिंह	---"---	अजजा	10 वी	60	---"---	60
55	राजेन्द्र नामदेव	सरस्वती वि.मन्दिर हा.से. अनंद नगर खंडवा	अ.जा	11 वी	60	---"---	60
56	मिथुन संतोष	---"---	अजजा	11 वी	60	---"---	60
57	अशोक लिमडा	सरस्वती वि.मन्दिर हा.से. अनंद नगर खंडवा	अजा	11 वी	60	---"---	60
58	रविन्द्र मोहनलाल	---"---	पि.वर्ग	11 वी	110	---"---	110
59	रंणजीत सुखलाल	---"---	पि.वर्ग	11 वी	110	---"---	110
60	रामदयाल स्व. मिटुलाल	श्री रायचन्द्र नागडा उत्कृष्ट वि.खंडवा	अजजा	10 वी	60	---"---	60
61	रमेश लोफा	सरस्वती वि.मन्दिर	अजजा	11 वी	60	---"---	60

		हा.से. अनंद नगर खंडवा					
62	रामचरण लक्ष्मण	श्री रायचन्द्र नागडा उत्कृष्ट वि.खंडवा	अजजा	9 वी	60	---''---	60
63	कु.आशीया जुम्मा	श्री सुन्दरबाई गुप्ता कन्या उ.मा.शा खंडवा	पि.वर्ग	10 वी	110	---''---	110
64	योगेश ईस्वरलाल	सरस्वती वि.मन्दिर हा.से. अनंद नगर खंडवा	अजजा	9 वी	60	---''---	60
65	दिलीप रामेश्वर	बाल विहार कानवेंट हा.स्कू जयनगर खंडवा	पि.वर्ग	9 वी	110	---''---	110
66	सुरेश कोमलचन्द्र	शा.मो.ने.उ.मा.शा. खंडवा	अजा	10 वी	60	---''---	60
67	कु. सानिया सेफुद्विन खान	सेंट पाल उ.मा.वि. खंडवा	पि.वर्ग	10 वी	110	---''---	110
68	डेनी श्यामसिंग	बाल विहार कानवेंट हा.स्कू जयनगर खंडवा	पि.वर्ग	9 वी	110	---''-	110
69	रमा राधेश्याम	शा.मा.कन्या शाला घासपुरा खंडवा	अ.जा.	7 वी	40	---''---	40
70	रविन्द्र मुलचन्द्र	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था खंडवा	पि.वर्ग	इलेक्ट्रीशन प्रथम वर्ष	250	---''---	250
71	मुकेश चिमनलाल	---''---	पि.वर्ग	हिन्दी आशुलिपि प्रथम वर्ष	250	---''---	250
72	कु. शबाना शेख राउफ	शा.मा.कन्या शाला पडावा मोघट रोड खंडवा	पि.वर्ग	6 टी	40	---''---	40

73	कु फरिन मो सबिर	शा.मा.कन्या शाला घासपुरा खंडवा	पि.वर्ग	6 टी	40	---''---	40
74	रचित कुमार सोहन	बाल विहार कानवेंट हा.स्कू जयनगर खंडवा	पि.वर्ग	9 वी	110	---''-	110
75	भावेश मनोहरलाल	श्री दादाजी इन्स्टीयूट आफ साईस एण्ड टेकनालाजी कालेज खंडवा	सामान्य	बी.ई.द्वितीय वर्ष	250	---''---	250
76	धीरज नारायण	खुसी इन्सट्यूट खंडवा	सामान्य	एम.सी.ए. तृतीय वर्ष	300	---''-	300
77	कु. मनिषा धन्नालाल	पोलोटेकनिक कालेज खंडवा	पि.वर्ग	कम्प्यूटर साईस प्रथम वर्ष	250	---''---	250
78	देवेन्द्र चुडामल	श्री दादाजी इन्स्टीयूट आफ साईस एण्ड टेकनालाजी कालेज खंडवा	पि.वर्ग	बी.ई द्वितीय वर्ष	250	---''---	250
79	रेहान अली इर्सरत अली	हिन्दु बाल सेवा सदन खंडवा	पि.वर्ग	8 वी	30	1.7.09 से 31.3.2010 तक	270
80	मनोज लखनसिंह,पटेल	नवीन माध्यमिक शाला गणेश गंज खंडवा	पि.वर्ग	8 वी	30	---''---	270
81	कु.शबाना शेख रसीद	शा.क.हा.स्कूल पंधाना	पि0-वर्ग	9वी	120	1.4.09 से 30.4.09 तक	120
82	कु.टिन्कल प्रेम	शा.क.उ.मा.वि.नया हरसूद	---''-	6वी	40	---''-	40

83	कु. दिपीका धनश्याम	—''—	—''—	8वी	40	—''—	40
84	कु. छमा लखनलाल	—''—	—''—	10वी	120	—''—	120
85	कु. सना कौसर	शा.मा.क.शा.धा. खण्डवा	—''—	6वी	40	—''—	40
86	तोताराम नानूराम	शा.मो.ने.उ.मा. विधालय खण्डवा	अजजा	12वी	60		60
87	बन्टी शोभाराम	शा.मा. शाला रेल्वे कालोनी आ.न. खण्डवा	—''—	7वी	30	—''—	30
88	मस्तराम ध्यानसिंग	—''—	—''—	8वी	30	—''—	30
89	धरित गेंदालाल	शा.मा. शाला रेल्वे कालोनी आ.न. खण्डवा	—''—	8वी	30	—''—	30
90	कु.ज्योति रामसिंह	शा.क.उ.मा..शाला नया हरसूद	—''—	8वी	40	—''—	40
91	संजय पिता बलीराम	बाल.विहार कान्चेट हाई स्कूल खण्डवा	अजा0	9वी	60	—''—	60
92	अंकित वासुदेव	संत थामस उ.मा.वि. खण्डवा	—''—	10वी	60	—''—	60
93	कु.माया बद्रीप्रसाद	शा.क.उ.मा..शाला नया हरसूद	—''—	9वी	60	—''—	60
94	कु.कोकिला सीताराम	शा.क.उ.मा..शाला नया हरसूद	—''—	10वी	60	—''—	60
	योग						10480

वास्तविक हितग्राहियों की सूची तथा उन्हें प्राप्त होने वाली सुविधा की जानकारी नवीनीकरण
निःशक्त छात्रवृत्ति वर्ष 2009-10
विकलांग छात्रवृत्ति नवीनीकरण वर्ष 2009-2010

क्र.	नाम/पिता	शाला/महाविधालय का नाम	जाति	कक्षा	दर	अवधि	स्वीकृति राशि
------	----------	-----------------------	------	-------	----	------	---------------

1	2	3	4	5	6	7	8
95	लक्ष्मीनारायण नानकराम रंगीले	नेहरू महाविद्यालय ललितपुर	अजा	बी.एस.सी.कृषि द्वितीय वर्ष	60	1.7.09 से 31.3.200	540
96	कैलाशचन्द्र रामा आर्य	शास.एस.एन.कॉलेज खण्डवा	अजजा	बी.ए.तृतीय वर्ष	60	1.7.09 से 31.3.200	540
योग:-							1080

विकलांग छात्रवृत्ति नवीनीकरण वर्ष 2009-2010

क्र.	नाम/पिता	शाला/महाविद्यालय का नाम	जाति	कक्षा	दर	अवधि	स्वीकृति राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
97	लक्ष्मीनारायण नानकराम रंगीले	नेहरू महाविद्यालय ललितपुर	अजा	बी.एस.सी.कृषि प्रथम वर्ष	60	1.7.08 से 31.3.2009	540
98	लक्ष्मीनारायण नानकराम रंगीले	नेहरू महाविद्यालय ललितपुर	अजा	बी.एस.सी.कृषि प्रथम वर्ष	प्रोत्साहन राशि	1.7.08 से 31.3.2009	3000
योग:-							3540

बिन्दु क्रमांक-13 :-

वास्तविक हितग्राहियों की सूची तथा उन्हें प्राप्त होने वाली सुविधा की जानकारी नवीन निःशक्त छात्रवृत्ति वर्ष 2009-10

विकलांग छात्रवृत्ति नवीन अजा0 वर्ष 2009-2010

क्र.	नाम/पिता	शाला/महाविद्यालय का नाम	जाति	कक्षा	दर	अवधि	स्वीकृति राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	संजय पिता बलीराम	बाल.विहार कान्चेट हाई	अजा0	9वी	60	1.4.09 से 30.4.	60

		स्कूल खण्डवा				09 तक	
2.	अंकित वासुदेव	संत थामस उ.मा.वि. खण्डवा	--	10वी	60	--	60
3.	कु.माया बंदीप्रसाद	शा.क.उ.मा.शाला नया हरसूद	--	9वी	60	--	60
4.	कु.कोकिला सीताराम	शा.क.उ.मा.शाला नया हरसूद	--	10वी	60	--	60
		योग:-					240

बिन्दु क्रमांक-14 :-

कार्यालय में उपलब्ध जानकारी की सूची, श्रेणी तथा उसकी प्रकृति

क्रं.	जानकारियों की सूची	श्रेणी	प्रकृति (हार्डकापी / इलेक्ट्रॉनिक फार्म)
1	सभी कर्मचारियों के वेतन देयक	ओपन	दोनों
2	सभी कर्मचारियों की स्थापना संबंधी जानकारियां	ओपन	हार्डकापी
3	कार्यालयीन विभिन्न नस्तियां	ओपन	हार्डकापी
4	कार्यालय को प्राप्त बजट एवं व्यय की जानकारी	ओपन	हार्डकापी
5	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं वृद्धावस्था पेंशन संबंधित जानकारी	ओपन	हार्डकापी
6	राष्ट्रीय परिवार सहायता से संबंधित जानकारी	ओपन	हार्डकापी
7	निःशक्तजनों को सहायता से संबंधित जानकारी	ओपन	हार्डकापी

बिन्दु क्रमांक-15 :-

आम नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराने हेतु उपलब्ध सुविधाएं जैसे पुस्तकालय, पब्लिक काउन्टर आदि

आम नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराने हेतु काउन्टर उपलब्ध है जिसमें सूचना सहायक की नियुक्ति की गई है । इस काउन्टर से कार्यालयीन कार्य दिवस में दोपहर 12.00 से 2.00 बजे तक वांछित सूचना निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त की जा

सकती है । कोई कठिनाई होने पर लोक सूचना अधिकारी, अथवा सहायक लोक सूचना अधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है । इस कार्यालय में आम नागरिक के लिए कोई पुस्तकालय उपलब्ध नहीं है ।

बिन्दु क्रमांक-16 :-

लोक सूचना अधिकारी संबंधी जानकारी

क्रं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	दूरभाष कार्यालय	दूरभाष निवास	ई-मेल एड्रेस	कार्यस्थल एवं पता	मिलने का समय
1	श्रीमती जकिया जावेद लोक सूचना अधिकारी	उपसंचालक, सामाजिक न्याय जिला खण्डवा	2223229	89821-42363		उपसंचालक, सामाजिक न्याय जिला खण्डवा, जिला पंचायत परिसर खण्डवा	कार्यालयीन समय (कार्य दिवस में)
2	श्री रामसहाय पटेल सहायक लोक सूचना अधिकारी	द्वितीय श्रेणी लिपिक	2223229	99774-13301		-तदैव-	कार्यालयीन समय (कार्य दिवस में)

बिन्दु क्रमांक-17 :-

अन्य कोई प्रासंगिक जानकारी जिसका सीधा संबंध आम नागरिक से हों ।

निरंक

उपसंचालक,
सामाजिक न्याय,
जिला-खण्डवा